बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / सा०बि०पा०डि०कं०लि०–27 / 2018 / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अंतर्गत शेष बचे विभिन्न विद्युत सबस्टेशनों, कार्यालयों में महिला एवं पुरूष शौचालय निर्माण हेतु 14.53 करोड़ (चौदह करोड़ तिरेपन लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 10.4784 करोड़ (दस करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार) रूपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु शेष राशि 7.1047 करोड़ (सात करोड़ दस लाख सैंतालीस हजार) रूपये वित्तीय वर्ष 2019–20 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–626 दिनांक–06.03.2019 के द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अंतर्गत शेष बचे विभिन्न विद्युत सबस्टेशनों, कार्यालयों में महिला एवं पुरूष शौचालय निर्माण हेतु 14.53 करोड़ (चौदह करोड़ तिरेपन लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 3.3737 करोड़ (तीन करोड़ सैंतीस लाख सैंतीस हजार) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्य को मिशन मोड के अंतर्गत संपन्न कराया जा रहा है। उक्त स्वीकृत योजना के तहत कुल 409 शौचालय का निर्माण होना है, लेकिन समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि 409 शौचालय में से 114 शौचालय का निर्माण वैसे विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में किया जाना है, जो कि DDUGJY/IPDS के अंतर्गत निर्माणाधीन है। इस 114 शौचालयों के निर्माण का व्यय DDUGJY/IPDS योजना के मद से किया जायेगा।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अंतर्गत शेष बचे विभिन्न विद्युत सबस्टेशनों, कार्यालयों में महिला एवं पुरूष शौचालय निर्माण हेतु 14.53 करोड़ (चौदह करोड़ तिरेपन लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 10.4784 करोड़ (दस करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार) रूपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु शेष राशि 7.1047 करोड़ (सात करोड़ दस लाख सैंतालीस हजार) रूपये वित्तीय वर्ष 2019–20 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती ळें

3. पूर्व में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या–626 दिनांक–06.03.2019 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. इस संबंध में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या–923 दिनांक–08.04.2019 को निरस्त समझा जाय।

5. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0106–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की

परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900106 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

7. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में परियोजना के स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. उक्त योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–27/2018 के पृष्ठ संख्या–22/टि0 पर दिनांक–19.06.2019 को प्राप्त है।

11. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–27/2018 के पृष्ठ संख्या–25/टि0 पर दिनांक–25.06.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–27/2018 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–27/2018 1545 /पटना, दिनांक– 28/06/19

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लि0/प्रबंध निदशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।